न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / कोलो. / 5521 / 2005 / हनुमानगढ़

जयेश कुमार पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी चक 5 एम.टी. एम. तहसील पूगल जिला बीकानेर।

...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकारर।
2. सत्यनारायण पुत्र श्री नथमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बेलासर तहसील एवं जिला बीकानेर।

...अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित
श्री एन. के. गोयल : अधिवक्ता प्रार्थी
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा : उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

———

निर्णय

दिनांकः 23 / 8 / 2018

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय), नियम 1975 के तहत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 14 / 9 / 2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा प्रार्थी की ओर से आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ (मु0बीकानेर) द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 / 7 / 2004 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अन्तर्गत नियम 23(1) राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय), नियम 1975 को निरस्त किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि चक नम्बर 3 एम.टी. एम. के मुरब्बा नम्बर 191/63 की 11 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटन के लिये प्रार्थी एवं अप्रार्थी सत्यनारायण एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें अप्रार्थी को आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ द्वारा दिनांक 5/7/1997 को विवादित भूमि आवंटित की गई थी तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी जयेश कुमार द्वारा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27/10/1999 द्वारा निरस्त कर दिया तथा इसके साथ ही उनके द्वारा दिनांक 5/7/1997 का आवंटन आदेश भी निरस्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दो पृथक पृथक निगरानियां मण्डल में प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय मण्डल की एकल पीठ ने दोनों निगरानियों की एक साथ सुनवाई करते हुए एक ही निर्णय दिनांक 13/11/2002 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये गये और आदेशित किया गया कि उभय पक्ष सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ के न्यायालय में दिनांक 3/1/2003 को उपस्थित होंवे। दिनांक 3/1/2003 को प्रार्थी सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ न्यायालय में उपस्थित हुआ लेकिन अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 10/1/2003 नियत की गई। दिनांक 10/1/2003 को अप्रार्थी सत्यनारायण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा सत्यनारायण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 3/2/2003 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया एवं इसके पश्चात कई पेशियां और नियत की गई। दिनांक 15/4/2004 को पत्रावली जयेश कुमार के उपस्थित आने पर पेशी से गिर कर प्रस्तुत हुई तथा अप्रार्थी सत्यनारायण के नाम नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये एवं तत्पश्चात दिनांक 15/5/2004 एवं 21/5/2004 की पेशियां नियत की गई। दिनांक 10/6/2004 को न्यायालय द्वारा जयेश कुमार को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 21/6/2004 नियत की गई। चूंकि नोटिस की पर्याप्त तामील नहीं हुई अतः पुनः नोटिस जारी करने के आदेश दिये जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 5/7/2004 नियत की गई एवं दिनांक 5/7/2004 को प्रार्थी जयेश कुमार के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया, जबकि प्रार्थी को नोटिस प्राप्त नहीं हुए थे एवं दिनांक 8/7/2004 को आलोच्य भूमि अप्रार्थी सत्यनारायण को आवंटित कर दी गई। जिससे व्यथित होकर हमारे द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 144/2004 एवं 148/2004 प्रस्तुत की गई, जो 14/9/2005 को खारिज कर दी गई। उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णय कानून एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि हमें सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। माननीय मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/11/2002 के अनुसार प्रकरण आवंटन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये

गये थे कि दोनों पक्षों से प्राप्त दस्तावेजां की पूर्ण जांच कर ही आवंटन के संबंध में उचित व विधिसम्मत आदेश पारित करें। उनका कथन है कि रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी करने के आदेश होने के पश्चात हमें कोई रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त नहीं हुए तथा रजिस्टर्ड नोटिस जारी होने के पश्चात 30 दिन का समय भी व्यतीत नहीं हुआ और उससे पहले ही एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये गये। यह नोटिस आवंटन अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 13/7/2004 को बिना सर्विस हुए पहुंचे परन्तु इसके पहले ही दिनांक 8/7/2004 को आदेश पारित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सद्भावी कृषक नहीं होते हुए और एक व्यापारी होने के बावजूद उसे विवादित भूमि का आवंटन कर दिया गया। प्रार्थी आवंटन नियम, 1975 के नियम 5 के तहत एक भूमिहीन सद्भावी काश्तकार होने की स्थिति में आवंटन का पात्र था परन्तु आवंटन अधिकारी द्वारा इस तथ्य को अनदेखा कर दिया गया। आवंटन अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि अप्रार्थी सदभावी कृषक है और इसकी बेलासर ग्राम की 2.67 हैक्टेयर भूमि है जिसमें उसका 1/6 हिस्सा है, जबकि उनका यह अभिमत गलत है। प्रार्थी हनुमानगढ जिले का निवासी है और उसके पास bonafide resident प्रमाण पत्र भी उसके पास था जो दिनांक 20/12/1991 को जारी किया गया था। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त कर प्रकरण पुनः आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ को विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत हैं। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में उभय पक्ष को सुनकर दस्तावेजात की जांच करते हुए दिनांक 8/7/2004 को अप्रार्थी सत्यनारायण को आवंटन का पात्र मानते हुए उसे किये गये आवंटन को यथावत रखा है, जबकि प्रार्थी जयेश कुमार वर्ष 1996 से पहले हनुमानगढ टाउन का निवासी था और उसकी वरीयता सत्यनारायण जो बीकानेर का मूल निवासी है, के बाद आना मानते हुए उनका आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उचित मानते हुए प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है, जिसमे कोई दोष नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी खारिज की जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

इस प्रकरण में इस न्यायालय ने आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ (मु. बीकानेर) एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णयों का

ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में दिनांक 8/7/2004 को आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ (मु. बीकानेर) ने नियम 23(1) राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय), नियम 1975 के तहत प्रार्थी जयेश कुमार का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया था और अप्रार्थी सत्यनारायण को पूर्व में किये गये आवंटन दिनांक 5/7/1997 को यथावत रखा गया है। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा दो अपीलें (अपील संख्या 144/2004 एवं 148/2004) अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14/9/2005 को खारिज की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8/7/2004 को यथावत रखा गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सत्यनारायण ग्राम बेलासर तहसील बीकानेर का मूल निवासी है और तहसीलदार, बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 20/8/1999 के अनुसार अप्रार्थी सत्यनारायण की ग्राम बेलासर में संयुक्त परिवार की भूमि 2.67 हैक्टेयर में से 1/6 हिस्सा उसका है अतः वह सद्भावी कृषक की परिभाषा में आता है। प्रार्थी जयेश कुमार वर्तमान में तहसील पूगल का निवासी है लेकिन वर्ष 1996 से पहले वह हनुमानगढ जिले का निवासी था। अतः विवादित भूमि के आवंटन में उसकी वरीयता अप्रार्थी सत्यनाराण के बाद आती है। प्रार्थी के अधिवक्ता का यह कथन कि प्रार्थी को नोटिस तामील नहीं हुए स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि पत्रावली के अवलोकन से यह भली भांति स्पष्ट होता है कि मण्डल से प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के पश्चात पत्रावली दिनांक 3/1/2003 को आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ को प्राप्त हुई थी और उसके पश्चात विभिन्न तारीखों में प्रार्थी जयेश कुमार एवं अप्रार्थी सत्यनारायण दोनों उपस्थित रहे हैं। दिनांक 10/6/2004 को अप्रार्थी सत्यनारायण प्रकरण में उपस्थित हुए थे और प्रार्थी जयेश कुमार अनुपस्थित रहे, जिन्हें रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से तलब किया गया था। दिनांक 21/6/2004 को पुनः जयेश कुमार को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया गया, इस संबंध में पत्रावली में इनके रजिस्टर्ड नोटिस की रसीद संलग्न है। दिनांक 5/7/2004 को अप्रार्थी सत्यनारायण उपस्थित थे और प्रार्थी जयेश कुमार अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रार्थी का आवंटन प्रार्थना पत्र एवं अपील को नियमानुसार निरस्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान निगरानी प्रार्थना पत्र में अथवा दौराने बहस यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आवंटन अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किस साक्ष्य को अथवा किस अभिलेख को किस प्रकार गलत रुप से विवेचित किया गया है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयो के समवर्ती निष्कर्ष पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य की विस्तृत विवेचना पर आधारित हैं। चूंकि आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ द्वारा दिनांक 8/7/2004 व अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के आलोच्य निर्णय दिनांक 14/9/2005 में ऐसी कोई क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि दृष्टव्य नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य